झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड

हरमू, रॉंची, झारखण्ड–834002

Ph. : 0651-2241929, 6566679, 2246973(Fax), email : md.jshb@gmail.com

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के प्रमंडलवार उपलब्ध मकान/फ्लैट की रिक्तियों "जहाँ है जैसा है" (As is Where is) के आधार पर लौटरी द्वारा आवंटन हेतु समय सीमा विस्तार का विज्ञापन

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अन्तर्गत रॉंची, धनबाद एवं हजारीबाग प्रमंडल में अनावंटित एवं नव निर्मित एवं निर्माणाधीन मकानों / फ्लैटों का आवंटन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में पी. आर. सं0 170158 से प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 13.09.2017 में आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.09.2017 से 14.10.2017 तक खरीदने एवं जमा करने की तिथि निर्धारित था।

उक्त तिथि को आंशिक संशोधन करते हुए आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र को खरीदने एवं जमा करने की तिथि **18.11.2017** तक विस्तारित किया जाता है। इस दौरान इच्छुक आवेदक झारखण्ड राज्य के सभी जिले के इलाहाबाद बैंक के मुख्य शाखा तथा रॉंची, धनबाद, डालटेनगंज एवं हजारीबाग जिले के इलाहाबाद बैंक के सभी शाखाओं से प्रत्येक कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराह्न तक आवेदन शुल्क के रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए 500/– रूपये, अल्प आय वर्ग के लिए 1,000/– रूपये मध्यम आय वर्ग के लिए 2,000/– रूपये एवं उच्च आय वर्ग के लिए 2,500/–रूपये नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, जो नहीं लौटाने योग्य (Non-Refundable) होगा। आवेदक http://udhd.jharkhand.gov.in/Other/Notices.aspx एवं http://www.jharkhand.gov.in/web/guest/notices से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं डाउनलोडेड आवेदन के साथ आवेदन शुल्क संबंधित प्रमंडल के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्त्तें यथावत रहेगी।

इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20.10.2017 से निम्नलिखित बैंकों के Web Site से Online आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है :–

1. Allahabad Bank : https://allahabadbank.qwikcollect.in/QwikCollect/Jshb.jsp
2. Punjab National Bnk : http://jshb.lnsel.net/

इन बैंकों के वेब साईट का लिंक http://udhd.jharkhand.gov.in/Other/Notices.aspx एवं पर भी उपलब्ध होगा।

वैसे आवेदक जिन्होंने Online आवेदन जमा किया है उन्हें दिनांक 27.11.2017 तक भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट एवं सभी कागजात संलग्नक के साथ झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के संबंधित कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। इसमें डाक अथवा अन्य माध्यम से विलम्ब के लिए झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
रॉंची